


क्रमांक.....

जबलपुर सहकारी दूध संघ मर्यादित, जबलपुर
शहडोल एवं अनूपपुर शहरमें साँची
दूध के स्थानीय वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य
हेतुतृतीय अल्पकालीन निविदा प्रपत्र वर्ष

2019–2021



जबलपुर सहकारी दूध संघ मर्यादित, जबलपुरडेयरी

संयंत्र: कराँदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर

टोल फ़ी नंबर-9406900500

E-mail : [jdssanchi@gmail.com.](mailto:jdssanchi@gmail.com)

jabalpur.sanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेरी प्लांट करौंदा नाला, ईमलिया जबलपुर

साँची दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 21.10.2019 दोपहर 12:00 बजे
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन खोलने तिथि एवं समय	दिनांक 22.10.2019 दोपहर 1:00 बजे से जबलपुर दुग्ध संघ के सभा कक्ष में।
3.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	रु. 50000/- (पचास हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से।
4.	वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु “तकनीकी अर्हताएँ” का प्रारूप।	परिशिष्ट क्र. 01
5.	वितरक सह परिवहनकर्ता की “सामान्य शर्तें”	परिशिष्ट क्र. 02
6.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप (केवल अवलोकन हेतु)	परिशिष्ट क्र. 03
7.	निविदाकार का परिचय	परिशिष्ट क्र. 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा: ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।

टिप्पणी :-

- निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

निविदा कार्य अवधि:-

निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2019–2021 (दो वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

स.क्र.	विवरण	स.क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी ।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लाईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे या भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	अनिवार्य अर्हताएं—		अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा । स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो ।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र क्र.04 को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो । स्वामी/प्रोपराईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए ।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि जमा होना चाहिये ।	4.5	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों ।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो ।	4.6	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
4.5	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो ।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
4.6	निविदा शुल्क जमा किया हो ।	4.8	निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से

निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय—

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रु.500/- (रु. पाँच सौ रुपये मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्य की जा सकती है।

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शहडोल एवं अनूपपुर शहरों में साँची दूध एवं दूध पदार्थों के विक्रय हेतु स्थानिय वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई—निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। मैं /हम शहर हेतु यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रु. 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति शहर के मान की ऑनलाईन रसीद क्रमांक दिनांक संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अहंताएं

क्र.	आवश्यक अहंता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था / फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मॉडल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का / संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
6.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करे।		लायसेंस / जीएसटी नं. की छाया प्रति संलग्न करे।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.50000/- (पचास हजार रूपये) की रसीद संलग्न करें।
8.	दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में वचन पत्र लगाना अनिवार्य है।		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में परिशिष्ट क्र. 06नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
9.	दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से		दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के

	कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है परिशिष्ट क्र.05नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
10.	वित्तीय वर्ष, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
11	दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव होना अनिवार्य है।		निविदाकार स्वयं के लेटर हेड पर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :— _____

पता :_____

टेलीफोन नं._____

मोबाइल नं._____

साँची दूध स्थानीय वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- (1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासर्पोट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- (2) यदि निविदाकार दोनों शहरों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक शहर हेतु ई.एम.डी राशि रु. 50000/- प्रति शहर के मान से पृथक से प्रस्तुत करना होगी।।
- (3) निविदाकार के पास स्वयं का इन्स्युलेटेड वाहन बोलेरो पिकअप या समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
- (6) निविदाकार को निविदा के साथ रु.50000/- (रु. पचास हजार रुपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- (7) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की सुरक्षा निधि राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- (8) निविदा स्वीकृत होने के उपरांत चयनित निविदाकार को कुल रु. दो लाखसुरक्षा निधि डीडी के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" जबलपुर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का अमानत राशि में निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन किया जा सकेगा। अमानत राशि जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
- (9) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो सुरक्षा निधि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
- (10) निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (12) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग / काटपीट न करें। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।
- (13) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

- (14) निविदाकार को वितरक मार्जिन .50 पैसे प्रति ली. वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगा। केवल निविदाकार परिवहन दरें वर्तमान में प्रभावशील डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुत करें। अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव स्वीकृत परिवहन दरों में अनुपातिक रूप से प्रभावशील किया जाएगा।
- (16) निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह—परिवहनकर्ता की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम तीन वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य उक्त अवधी में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्णनिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
- (17) अनुबंध अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह—परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत परिवहन दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (18) सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
- (20) कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में दुग्ध संघ एवं अन्य एमपीसीडीएफ के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया हो इस बावत् रु. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर देना होगा।
- (21) जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्नरु. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश किया जाएगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात् भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
- (22) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
- (23) वितरक सह—परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूजिव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

- (24) निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह—परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा अन्यथाएँसे निविदाकार की निविदा अमान्य करने एवं ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 24 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

वित्तीय बीड़(केवल ऑन लाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	शहर का नाम	परिवहन दरें (अंको में) रु./लीटर	परिवहन दरें (शब्दों में) रु./लीटर
1.	शहडोल मार्ग		
2.	अनूपपुर मार्ग		

नोट:—निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वे दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से वर्णित करें। दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग/काटपीट न करें। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जायेगा।

निविदाकार का परिचय

1. आवेदक का नाम
.....
.....
2. पिता का नाम
.....
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस (* अनिवार्य).....
6. स्थानीय वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित शहर का नाम
7. शैक्षणिक योग्यता
8. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी
(दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
9. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)

10. (अ) पेन नम्बर
- (ब) FSSAI
- (द) GSTIN नम्बर

(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थवितरक सह परिवहनकर्ता कार्यसंबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

शपथ—पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं निवासी जबलपुर दुग्ध संघ में
 कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांकहस्ताक्षर

नाम—————

पता—————

हस्ताक्षर—————

शपथ—पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैंनिवासीजबलपुर दुग्ध संघ मेंकार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से संपूर्ण भारतवर्ष से किसी भी कार्य से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में किसी भी समय गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम—————

पता—————

हस्ताक्षर—————

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थस्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, जबलपुर, जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्री से बतौर स्थानीय दूध एवं दुग्ध पदार्थ के वितरक सह—परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा शहर के लिए दिनांक से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावजूद देना होगा।
2. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ताको दुग्ध संघ में सुरक्षा निधि राशि के रूप में राशि रु. 2 लाख कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता, शहर पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
5. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर शहडोल डेरी संयंत्र सेमांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कठिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
6. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को वितरण स्थल से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
7. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएंगे / न बढ़ायेंगे।
8. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध विक्रय एजेन्ट को दूध देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय एजेन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनलटी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार—बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य समाप्त कर सकेगा।
9. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
10. दुग्ध संघ वितरण स्थल पर दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। वितरण स्थल पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा।
11. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग / अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
12. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।

13. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को वितरण के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय—समय पर की जाएगी।
14. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह—परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शातिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आनें दें।
15. वितरक सह—परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेट्स/केन्स आदि का पूर्ण लेखा—जोखा रखेगा तथा संबंधित परिवहनकर्ता को इसकी पूर्ण वापसी हेतु जबाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह—परिवहनकर्ता से क्रेट्स/केन्स की राशि रु.100/- प्रतिक्रेट पेनलटी एवं क्रेट का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।
16. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
17. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराएगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
18. स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेंसी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की धनराशि का भुगतान वितरक को स्वयं प्राप्त करना होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी अथवा अन्य के किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
19. समय समय पर दुग्ध संघ स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
20. वितरक सह—परिवहनकर्ता को आबंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह—परिवहनकर्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
21. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह—परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह—परिवहनकर्ता की होगी।
22. वितरक सह—परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा—जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगा।
23. समय—समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय—समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
24. वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
25. वितरक सह—परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से कराना होगा।
26. वितरक सह—परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा।

यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

27. संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हूई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
28. वितरक सह-परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रु. 50/-प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।
29. यह कि वितरक सह-परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-
 - (1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो वितरक सह-परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।
 - (2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह-परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाएगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक द्वारा संघ में जमा चेक बुक के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
30. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
31. वितरक सह-परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
32. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से जमा करेगा तथा संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। अपरिहार्य स्थिति में भुगतान राशि धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में प्रति 500/- के मान से अर्थदण्ड का कटौत्रा किया जोवगा। जो की वितरक सह परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
33. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता से की जावेगी।
34. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/ संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह-परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
35. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
36. अनुबंध अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाएगा।

37. दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
38. यह कि शहर पर श्री/मेसर्स स्थानीय वितरक सह—परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रूपये ऐसे प्रति ली. पर कार्य करेंगे।
39. वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूसिज़न आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
40. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह—परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी।
41. यह अनुबंध दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य दोवर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
42. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration)के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator)प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ जबलपुर के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
43. इस अनुबंध का न्यायालिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह—परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक को निष्पादित किया गया है।

मैं पिता/पति/पत्नी वितरक सह—परिवहनकर्ता
 मार्ग क्रमांक अपना उत्तराधिकारी (नामिनी)श्री/श्रीमति को घोषित करता/
 करती हूँ।

वितरक सह—परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.
 पता.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सहायक महाप्रबंधक (विपणन)

1.गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—
 जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

2.गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—

